CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Insert of new article 174A)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान की धारा 174 (क) में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश करने की इजाजत चाहता हूं ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री नाथ पाई : मैं इस विधेयक को पेश करता हूं ।

FILM INDUSTRY WORKERS BILL*

श्री स०चं० सामन्त (तालुक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र उद्योग में श्रमिकों की मजूरी निर्धारित करने तथा उन के काम की दशा में सुधार करने के लिये प्राधिकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide machinery for fixation of wages and for improvement of working conditions of workers in the Film Industry."

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : मैं चलचित्र उद्योग श्रमिक विधेयक पेश करता हूं ।

17.40 hrs.

HINDU SUCCESSION ACT†

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत करोड़ों इस देश में देहातों में रहने वाले किसानों की जो शिकायत है उस की तरफ सरकार की तवज्जह खींचना चाहता हूं ।

शुमाली हिन्दुस्तान में खास कर और आमतौर पर सारे ही देश में जो दिक्कत जमीन वाले किसानों को महसूस होती है और जो विरासत एक्ट है जिसे कि हिन्दू सेक्शन एक्ट बोलते हैं इस मे सैक्शन 8 की बदौलत जो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर के करोड़ों किसानों को और देहात वालों को तकलीफ होती है वह मैं आप की मार्फत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं ।

बात यह है कि इस इलाके में सैकड़ों साल से नहीं हजारों साल से एक रिवाज चला आता है और वह रिवाज एक रस्म की शक्ल अख्तयार कर गया है, एक ऐसे कस्टम की शक्ल अख्तयार कर गया है कि लोग उसे आम तौर पर समाजी और मजहबी रूप देने लग गये हैं । जहां तक हमारी शादियों का ताल्लुक है जहां तक हमारे त्योहारों का ताल्लुक है, जहां तक हमारी बोलचाल का ताल्लुक है जहां तक हमारे रहन सहन का ताल्लुक है वह अलग अलग है । शुमाली हिन्दुस्तान के और खास तौर पर इस इलाके के जिनको कि वह तकलीफ है और वह मैं आप को पेश करता हूं कि वह न सिर्फ देहात की तकलीफ है बल्कि शहर को भी तकलीफ है और वह यह है कि जब लड़की हमारे यहां जवान होती है 12 साल की 13 साल की तो हम उस की शादी करते हैं और शादी भी ऐसी जगह करते हैं जहां उस लड़की के गोत्र

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 14-2-68.

†Half-An-Hour Discussion.

[श्री रणधीर सिंह]

उस की जात के भाई न रहते हों। शादी भी उसकी गांव में उस जगह पर करते हैं जहां उस लड़की की मां की जाति, व बिरादरी के लोग नहीं रहते जहां उस की दादी, ग्रैंडमदर की जाति बिरादरी के लोग नहीं रहते और ऐसी जगह आप मानेंगे उसके गांव के चार, पांच मील में नहीं होती बल्कि वह 40-50 मील, करीब करीब 10 और 50 मील के दरमियान होती है । उस में होता क्या था ? दरअसल लड़की की, स्पीकर साहब, हम इतनी इज्जत करते थे कि लड़की को अगर कोई गाली दे दे तो लोग ऐसे आदमी को कत्ल करने से भी डरा नहीं करते थे । अब जैसे कि हमारे वहां पर रक्षाबंधन का त्यौहार होता है तो इस इलाके मे यानी खास तौर पर शुमाली हिन्दुस्तान में हन भाई को राखी बांधती है और सारी उम्र भाई बहन की रक्षा करता है और अपनी जान की बाजी लगा देता है । भाई, बहन में अत्यधिक प्रेम होता है । लड़की जवान होती है, उस की शादी होती है तो सारा कुनबा रोता है क्योंकि लड़की पैदा एक घराने मे होती है लेकिन 16 साल की उम्र के बाद शादी होकर वह दूसरे घर में चली जाती है, लड़की के मां बाप महसूस करते हैं कि कुनबे का एक बच्चा जिस जिस्म मे पैदा हुआ वह सारी बकिया उम्र के लिए उन के पास से चली जाती है । हमारे यहां रिवाज है कि व्याहता लड़की को हर 6 महीने या 3 महीने के बाद उस का बाप या उस लड़की का भाई अपने घर बुलाता है । एक, एक लड़की के आने पर 500, 1000 रुपये कपड़ों आदि पर खर्च करता है । आदमी कितना ही भूखा हो लेकिन लड़की की शादी पर वह अपनी जान पर खेल जाता है और उस के लिए जेवरात गढ़वाता है । कंगाल से कंगाल आदमी अपनी जायदाद को बेच देता है, अपने मवेशियों को बेच देता है और ज्यादा से ज्यादा रुपया लगा कर लड़की की धूमधाम से शादी रचाता है । इस कारण समाज में उस की इज्जत होती है कि उस ने लड़की को शादी में इतना कुछ दिया । फिर लड़की के बच्चा होने पर, एक, एक बच्चे के होने पर वह एक, एक हजार और दो, दो हजार रुपया बतौर मेंटेनेन्स के देता है । जब लड़की के बच्चों की शादी होती है तो उस शादी पर उस का जो मामू होता है, लड़की का जो भाई है वह हजारों रुपया लगाता है ताकि समाज में उस का नाम हो कि लड़की के भाई ने इतना रुपया दिया । उस को हम लोग भात बोलते हैं । यही नहीं बल्कि लड़की की लड़कियों की जब शादी होती है तो उस मे भी हम मेटेनेंस करते हैं । लड़कियों के कपड़ों और जेवरात पर वह काफी पैसा खर्च करते हैं । अगर यह इलाका गरीब है शुमाली हिन्दुस्तान का तो वह इस वास्ते गरीब है कि वह अपनी लड़कियों के लिए, अपनी बहनों के लिए यह जान पर खेल कर ज्यादा से ज्यादा रुपया देते हैं । अब यह जो कस्टम है स्पीकर, साहब, यह हजार साल से नहीं बल्कि 5-7 हजार साल से चला आता है । कस्टमरी ला आफ़ पंजाब, यह जो लाज हैं पंजाब के मसलमान को भी ऐप्लाई करते हैं, सिक्ख को भी ऐप्लाई करते हैं, कहने का मतलब यह है कि देश की सारी बिरादरियों के जितने भी भाई हैं जितने भी मजहब के भाई हैं सारे शुमाली हिन्दुस्तान में यह कस्टमरी लाज सब को ऐप्लाई करते हैं । हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी कौंसिल, इन तमाम की रूलिंग्स है कि इस इलाके में यह एक रस्म-रिवाज है जिससे कि लड़की का प्रोटेक्शन होता है । आज मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सक्सैशन ऐक्ट की दफा 8 बनाई गई है, इसने लड़की की इज्जत हमारे समाज में मिट्टी में मिला दी । यह जो बात मैं कहता हूं यह मैं खुद अकेले नहीं कहता । यह बात उस युनैनीमस रेजोलूशन में कही गई है जो कि पंजाब असैम्बली का गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास में है । यह खाली

मैं ही नहीं कहता बल्कि यह हरियाणा असैम्बली का यूनैनीमस रेजोल्यूशन है । वह सब पार्टीज का रेजोल्यूशन है । यह मैं खाली कांग्रेस की बात नहीं कहता बल्कि मैं कम्यूनिस्ट पार्टी सोसलिस्ट पार्टी की, जनसंघ पार्टी की और बाकी जितनी पार्टियां पंजाब में और शुमाली हिन्दुस्तान में हैं, दिल्ली में हैं सभी पार्टियों की युनैनीमस आवाज की तरफ से मैं सरकार की तवज्जह खींचना चाहता हूं । मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह रस्म-रिवाज जो हमारे बड़ों ने, बाप दादों ने चलाया हुआ है वह इस कारण चलाया है कि यह भाई, बहन का प्रेम ता जिन्दगी भर बना रहे। वह एक शानदार परम्परा थी लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट ने उसे तोड़ दिया है ।

अभी क्या होता है ? एक मां एक गांव की है । मां का गांव 50 मील है । इस एक्ट के तहत मां की जमीन 50 मील रह गयी । मां रहती यहां है लेकिन उसकी जायदाद 50 मील है । ज्वायंट फैम्ली है उसमें सभी लोग रहते हैं उसमें चाची रहती यहां है लेकिन उसकी जायदाद 50 मील पर है । ज्वायंट फैम्ली में जो बहू है जो डाटर–इन–ला है, रहती यहां है लेकिन उसकी जमीन 60 मील पर है । वह जैसा मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमारे यहां चूंकि गोत्र बचाकर शादी करते हैं तो होता यह है कि वह रहती तो हमारे यहां है लेकिन उसकी जमीन, प्रापरटी 60, 60 मील पर के गांव में है। मैं रहता यहां हूं खेती 60 मील पर कैसे करुंगा । या तो मैं सारे कुनबे को ले जाऊं, बच्चों को ले जाऊं, डंगरों को ले जाऊं और वहां मकान बना कर रहूं । अब हमारा रस्म-रिवाज यह है कि पर्दे का बड़ा सिस्टम है । अगर गांव में बहू रहे पर्दा करे, तो गांव के चारों तरफ भाई हैं तो उसको वह बहुत बुरा समझते हैं । हमारे यहां एक मसल मशहूर है ।

"ससुर के घर जमाई कुत्ता और बहन के घर भाई कुत्ता ।"

It means this: If a brother is living with a sister, then he is known as a dog. Similarly, if the son-in-law is living in his father-in-law's house, then the son-in-law is known as a 'dog'.

मेरे कहने का मतलब यह है कि समाज ने एक उसूल बना दिया है कि भाइयों में तो बहन रह सकती है लेकिन वह बहन पर्दा करे, वह बहू बन जायेगी तो वह उस गांव में नहीं रह सकती । मतलब यह है कि बतौर दामाद के उस गांव में वह वहां जमाई बन कर नहीं रह सकता । जगह-जगह हम जाते हैं । मैं कांग्रेस में हूं, दूसरे मेरे भाई अन्य पार्टियों में हैं और वह यह जानते होंगे कि आज अगर किसान कोई सवाल लेता है तो वह यह कहता है कि ऐक्ट ने हमारा सत्यानाश कर दिया है कि इस लड़की को बहू बनाकर बाप के पास ही सरकार ने रख दिया । मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि यह चीज ऐसी है जो कि संविधान के खिलाफ़ है, कांस्टीट्यूशन का जो प्रीएम्बिल है उसके खिलाफ़ है, यह कस्टमरी ला के खिलाफ़ है, जो लोगों का ला है कि जिसके अनुसार हम समाज में व्यवहार करते हैं, उठते-बैठते हैं उसके खिलाफ़ है और जैसा मैंने कहा वह आज से प्रचलित नहीं है बल्कि मनु महाराज के समय से है । होनी वही बात चाहिये जिससे लड़की को ज्यादा सुख मिले, ज्यादा आराम मिले और लड़की की ज्यादा इज्जत हो । हमारे यहां क्या होता है कि जब लड़की की शादी होती है और वह दूसरी जगह बहू बन कर जाती है तो उसके नाम जमीन नहीं होती । जहां वह लड़की जाती है वहां ससुर के हक में से उस लड़की के नाम में जमीन होनी चाहिए । होता यह है कि हस्बैंड के नाम जमीन होती वाइफ के नाम में नहीं होती । हस्बैंड उसके साथ मालट्रीटमेंट करता है और उसको घर से

[श्री रणधीर सिंह]

निकाल देता है । सैकड़ों नहीं हजारों केसेज डाइवोर्स के होते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हस्बेंड के हिस्से में वाइफ का बराबर का हिस्सा होना चाहिये, जिस वक्त फादर मरता है । अगर ऐसा होगा तो लड़की की कद्र होगी और वहां लड़की को डाइवोर्स नहीं किया जायेगा । अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती तब आप बेशक उसको भाई के हिस्से में हिस्सा दीजिये, अगर कोई लड़की हस्बेंड को डाइवोर्स कर दे तो उसको बाप की जायदाद में हिस्सा दीजिये या कोई लड़की क्रिपल्ड हो जाये तो उसको हिस्सा दीजिये । लेकिन आजकल जो होता है उसको देख कर मुझे तकलीफ होती है । मैं समझता हूं कि मेरी बहनें मेरी बात को समझेंगी और मेरी तारीफ करेंगी कि मैं यह डिस्कशन यहां पर लाया इससे न सिर्फ हरियाना या पंजाब का बल्कि सारे हिन्दुस्तान का भला है ।

मैं कहना चाहता हूं कि जो बहन भाई के हाथ में रक्षा बांधती है और भाई सिर पर हाथ रखता है कि बहन के लिये मैं जान लड़ा दूंगा, वही बहन भाई के खिलाफ मुकदमेबाजी करती है और भाई बहन का मर्डर करता है। आज हजारों मर्डर केसेज ऐसे होते हैं । खास तौर से हरियाना और पंजाब में तो आये महीने सैकड़ों मर्डर इस किस्म के होते हैं । जहां जमीन होती है वहां लड़की भाई की बेदखली कराती है जमीन से, जो भाई कि बहन के ऊपर अपनी जान निछावर करता है, और जमीन पर कब्जा लेती है । उसमें जो प्रोड्यूस होती है उसको जब भाई बेचता है तो प्रिएम्शन मनी दाखिल किया जाता है । सैकड़ों हजारों केसेज आजकल अदालत में चल रहे हैं । इसलिये हरियाना की असेम्बली ने, सारी पार्टीज ने यूनैनिमसली गवर्नमेंट के पास रेजोल्यूशन भेजा है कि इसको अमली जामा पहनाया जाये । आज मुझे इस वास्ते कहने की जरूरत पड़ी, और मुझे इस बात का अफसोस है कि गवर्नमेंट ने अब तक इस बात पर सोचा नहीं । यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है । यह समाज की रीति का सवाल है, लोगों के जजबात का सवाल है । मैं पूछना चाहता हूं कि करोड़ों लोगों के जजबात के साथ यह सरकार क्यों खेलती है । मैं बहनों के हक़ों के लिये जान देता हूं और उनका ज्यादा से ज्यादा पुजारी हूं । लेकिन जिस बात को करोड़ों आदमी चाहते हैं उसको आप क्यों नहीं करते ?

आज यह बात नहीं है कि भाई बहन के हक को खाना चाहता है । भाई बहन को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहता है । आज अगर किसी के पास दो बीघे, चार बीघे जमीन है उसके अन्दर बहन के हिस्से की क्या कही जाय ? उसकी क्या कीमत है ? आप अन्दाजा नहीं लगा सकते कि कितने हजारों रुपये भाई बहन के ऊपर और उसके बच्चों के ऊपर सारी उमर खर्च करता है । कितना प्यार होता है, कितनी रिश्तेदारी होती है । लेकिन जो कानून आज है उसकी वजह से सारी रिश्तेदारी खत्म, सारा प्यार खत्म, सारा मेनटेनेन्स खत्म । दुनिया भर की चीजें आ गई हैं ।

मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि हरियाना और पंजाब के लिये आज यह सबसे बड़ा सवाल है । इस पर आप हमदर्दाना गौर करें । वहां की गवर्नमेंट की रिकमेन्डेशन है, असेम्बली की रिकमेन्डेशन है, सारी पार्टियां इस चीज को चाहती हैं, औरतें जाकर कहती हैं कि वह भाई का हक नहीं चाहती हैं, तब क्यों यह गवर्नमेंट भाई बहन को लड़ाना चाहती है, मां बेटी को लड़ाती है । मैं कांग्रेसी होते हुए भी आज दुनिया भर की निन्दा करता हूं कि आज हमारे समाज को, हमारे प्यार को, हमारे देहात को, हमारे समाजी माहौल को पाश पाश करके रख दिया गया है । मैं चाहूंगा कि हरियाना की हुकूमत ने जो रेजोल्यूशन भेजा है, उसको गवर्नमेंट मंजूर करे या यह यकीन आज दिलाये कि वह इस रेजोल्यूशन को मंजूर करेगी ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त श्री रणधीर सिंह ने हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । इसका हमारी आर्थिक अवस्था पर क्या असर पड़ता है केवल यही एक पहलू मैं आप के सामने रखना चाहता हूं ।

हिमाचल प्रदेश, जहां से मैं आया हूं, 22 हजार वर्ग मील में है । वहां पर रहने वाले जो हम किसान हैं उनमें से किसी के पास एक एकड़ जमीन है, किसी के पास दो एकड़ है, किसी के पास तीन, चार या पांच एकड़ है । बदकिस्मती यह है कि अगर किसी के तीन भाई और तीन बहनें हैं तो उस आदमी की जमीन उन तीन भाइयों और तीन बहनों में बंट जाती है । जैसा श्री रणधीर सिंह ने कहा, हम गोत में शादी नहीं करते । हमारी शादी आम तौर पर 20–30–40 या 50 मील के फासले पर होती है । जब तीन लड़कियों की शादियां होती हैं तो वह तीन अलग अलग गांवों में चली जाती हैं और जो दो एकड़ जमीन होती है उस आदमी के पास तो बटवारे की दरख्वास्त तहसीलदार के पास चली जाती है और वहां से इंजक्शन मिलता है कि यह किसान तब तक काश्त नहीं कर सकता जब तक जमीन बंट न जाय । इससे पोजीशन यह होती है कि दो एकड़ जमीन से कमा कर जो दो रोटी किसान लाता है वह भी बन्द हो जाती है । नतीजा यह होता है कि जो पैदावार बढ़नी चाहिये वह बढ़ने के बजाय कम होती जाती है । यही हाल लगभग सारी फैमिलीज का होता है ।

दूसरी बात यह है कि जमीन से जितना पैसा मिलता नहीं है उससे ज्यादा मुकदमेबाजी में खर्च हो जाता है । इसके अलावा हमारे यहां रिवाज है कि लड़की के घर में मां बाप या बड़े भाई का पानी पीना भी मना है । लेकिन जब लड़की उसके घर में आ जाती है और बहू बन कर रहती है तो उस फैमिली में तलखी पैदा हो जाती है और ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है कि वह प्यार कायम नहीं रहता जो भाई और बहन में रहना चाहिये । हिन्दु फैमिलीज में जब यह प्यार खत्म हो जाता है तो उसकी जड़ यही होती है कि लड़की वहां जायदाद में हिस्सा बटाने आ जाती है । हमारे पहाड़ी लोगों की सभ्यता और संस्कृति यह है कि वह अपनी बहन या बेटी की देवी के रूप में पूजा करते हैं । लेकिन जब यह फैमिली में घर का हिस्सा बटाने आ जाती है तब हमारी फैमिली का और नेशन का ही शीराजा बिखर जाता है ।

आज मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि झगड़े का सबसे बड़ा कारण और छोटे छोटे किसानों के सत्यानाश का कारण यह ऐक्ट है । इस वास्ते मिनिस्टर साहब इस ऐक्ट में ऐसी तबदीली लायें जिससे झगड़ा खत्म हो या फिर इस ऐक्ट को कम से कम शुमाली हिन्दुस्तान के लिये खत्म कर दिया जाये ।

SHRIMATI NIRLEP KAUR (Sangrur): I speak in this half-an-hour discussion as I come from Punjab where this law has affected us very badly. The necessity of enforcing this law was to improve the condition of the girls. The main idea was to restore to the girls their status which they were not given for centuries. It was mainly intended as a security for the girls.

Unfortunately, in Punjab, after enforcing this law—though, of course, laws are made with great considerations and the best of intentions; laws are to protect and to improve the lot of the people—the people concerned, in Punjab, Haryana and many parts of the north, have been hit adversely. The girls in this part of the country were treated with cruelty and were denied their due rights. Where were they denied their rights? By whom were they treated with cruelty? Not by the brothers. Not by the father. If the girl was beaten up, it was in the in-laws house. They were beaten up by their husbands. If the husband married again, who looked after that

[Shrimati Nirlep Kaur]

girl? It was the parents who with their weeping hearts used to go and fall at the feet of her in-laws and plead for getting the girl her rightful position. They used to deny it to the girl. If the husband married again, the girl had no other place but parents' house to go. If the girl did not bear a son, she was treated no better than a cow or buffalo standing in that house.

To restore her position, this law was made. But it was made where she was already protected and not where she should have been protected. Therefore, as Chaudhury Randhir Singh Sahib has also stated, it has caused numerous problems.

18 hrs.

When the girl gets married, she is just 14 or 15. That age can be called childhood for the girl. She spends her childhood in her home and then she goes to another place. That is the place that she calls her own home, and there she is going to live for 45 or 50 years. In that home she is given no protection, no right in the property there. The sisters who are 200 miles away have a right in the property, but not the wife. When a girl becomes a wife, she is merged into that family. if she marries into a Khanna family she calls herself a Khanna, she gives up her own parents' name, she gives up everything to go to that home and there you give her no protection.

There is another law that you have made,—if the land is not cultivated by the owner, it will be taken away by the Government.

If I have two daughters and two sons, and my two daughters are married and one is in Rajasthan and the other is in U.P., 160 miles away, now are those girls to come and plough the land in my village? If these girls are going to come, they have to come with their husbands. Their husbands will not be accepted here in the family, because we marry usually by the castes. Even if the husbands do come, who is going to look after the husband's property? If the girl is going to give her land to the tenant, the tenant will own that land after some time, because the law protects the tenant and not the girl, and she loses the land.

As a last resort, the brother feels that the he should also plough adjacent land owned by his sister. He rightfully wants to keep the fruits of his labour. He may have affection for his sister, and even if he is willing to give her, his wife will not allow him. She too has a family to raise. Why should they sweat for the other family?

Today the sisters long to see the brothers and the brothers long to see their sisters. There is the festival of Rakhi celebrated all over the country, which signifies bondage between sisters and brothers. Today in the Punjab. the Law Minister can get the figures, to the tune of 6,000 sisters who have put handcuffs on their brothers instead of rakhis. I have known case where a daughter got married. She loved her brother, and she did not want to take the property from him. Before her marriage, she gave it in writing that she was giving her share to her brother. The husband beat her up, and asked her to go and sell the property and come back with the money. She could not take a decision, she loved both the brother and the husband, and finally she committed suicide. This is how this law is oppressing the girls.

So, I plead that you must change the law. If this law benefits any other part of the country, they can have it, but do not have this law in North India, because it is doing more damage than good and the whole idea of this law has been lost, because it is not carrying the meaning for which it was enacted.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON): This Parliament passed the Hindu Succession Act 12 years ago after protracted discussions, and so far as I could see the object of passing this Act was to provide that girls born in the family should have equal rights in

the family property with their brothers, that is to say because a child born of a father is a girl, she should have no less rights in the property of the father and the father's family than the brother. That is the object. If I remember aright, there was acrimonious debate in Parliament over this matter. The orthodox people among the Hindus were pitted against those who wanted a reform in this law Succession, marriage and other personal laws come under the concurrent list in the Constitution and Parliament has therefore a right to legislate on these matters. The speeches that I heard today indicte that at least in the States of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh there are local difficulties.....

MR. SPEAKER: They say for the kisans all over India.

SHRI GOVINDA MENON: If there are difficulties all over India, they must be on account of the fragmentation of the holdings. The Hindu Succession Act itself has a provision which says that where there is a law enacted by the State Legislature preventing fragmentation of holdings, this provision in the Hindu Sucession Act will not operate.

SHRI RANDHIR SINGH: It operates.

SHRI GOVINDA MENON: This evil of fragmentation of holdings is one which has become almost universal in India. If a father has six boys, all of them are entitled to a share of the father's property in all the systems of Hindu law and that leads to fragmentation of holdings. The rule of primogeniture used to apply to certain communities and it was aimed at preventing fragmentation but I do not think that system is prevalent now. Fragmentation of holdings is an evil which affects agricultural production. Therefore, certain State Governments have taken the very welcome step of passing laws to prevent fragmentation of holdings. If my recollection is correct, Haryana and Punjab have passed laws preventing framgmentation of holdings.

SHRI RANDHIR SINGH: Inspite of those laws, things are happening.

SHRI GOVINDA MENON: The hon. Mover suggested that instead of the girl being given a right to a share of her father's property, she should be given a right to a share of the property in the family of her husband. It has to be looked into as to what complications this would lead to. He referred to the customary law of the Punjab. I am sure it does not provide for the right of a wife to a share in the property of the family of her husband. Nor does any other community in India grant such right. Nowhere in the world is there such a law under which a wife will get a right over the property of the husband or husband's father. She may have rights of maintenance as against the husband who neglects her. If there is a separation effected by court decree or divorce, etc., she is entitled to certain rights such as alimony, maintenance, etc. But to accept the suggestion made by the hon. Mover that a girl married into a family should be given rights in the husband's property will create more difficulties than it would solve.

Now, the learned Mover referred to certain suggestions made by the Government of Haryana and the Government of Punjab. What happened in Punjab was that in 1960, the Punjab Legislature passed a resolution; Haryana had not then been created. The Punjab Legislature consisting also of the members from the present Haryana passed a resolution that the provisions of section 8 of the Hindu Succession Act should not apply to agricultural land in Punjab. That resolution was passed on 21st April, 1960, but six days later, on the 27th April, 1960, on a motion made by the Chief Minister at that time, that resolution was rescinded. The Punjab Legislature was not clear in its mind that this would be good for the people of Punjab. So, that resolution was

[Shri Govinda Menon.]

rescinded at the instance of the Chief Minister, and a Committee was appointed to go into the question as to how the difficulties referred to by the hon. Member who spoke today could be solved. The Committee submitted a report. The Government of India, after gerat difficulty, got a copy of that report from that government, but the report was sent to us with a request that it should be kept confidential. So, that is the position.

This being a subject in the concurrent list, the Government of India would be prepared to consider the views of the legislatures with respect to the operation of the law in their own areas. I would, for example, now refer to a Bill which was moved and probably passed in the Madras Legislature intended to legalise the Swayamaryadai marriages.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): It has been passed.

SHRI GOVINDA MENON: Self-respect marriages; you know, Sir, something about it. Swayamaryadai marriages have been going on in Madras for the last 40 years. That was resorted to by a large section of the people of Madras by way of revolt against priestcraft in the Tamil areas. The proposal was made to the Law Ministry that the self-respect marriages celebrated in Madras should be recognised as valid marriages and towards that object, the Madras Legislature wanted to pass a law. Being a subject in the concurrent list, and legislation having already been passed by Parliament on that subject, the assent of the President will be necessary for validating any legislation passed by a State legislature. I am glad to inform you that the view of the Madras Government was accepted as valid and the Government of India agreed that that amendment could be made in the legislature of Madras and the President could accord sanction.

Similarly, if the difficulties experienced by the agriculturists of Punjab and Haryana are so acute....

SHRI RANDHIR SINGH: What about the Haryana resolution sent by the Assembly now?

SHRI GOVINDA MENON: That is not the way to do it. If a resolution is passed, what am I to do? The proper procedure is to resort to article 254 of the Constitution, which refers to matters of this type. If the State legislature is particular to see that on account of certain local conditions, certain amendments are necessary in a legislation on a concurrent subject, enacted by the Parliament of India, then the proper procedure is to attempt a legislation which would apply to that area. If an amendment is brought to the Hindu Succession Act in Lok Sabha, normally it should be for the whole of India. We do not normally legislate for any particular State. For Punjab or Haryana, the legislures of those States should legislate. If the legislatures of that area feel that a particular amendment to a certain central legislation on a particular subject in the concurrent list is required, certainly the Government of India will be prepared to consider that proposition sympathetically because the local legislature is in a farbetter position than the members of the Lok Sabha or the Rajya Sabha to know about the needs of the local people there. That is the way in which we should proceed, although the legislation was made in that manner in 1956 on account of the Directive Principles of the Constitution, etc.

SHRI RANDHIR SINGH: What about the resolution passed by the Haryana legislature?

SHRI GOVINDA MENON: I have already said that on a resolution, this House does not act.

MR. SPEAKER: He has said that.

18.17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February 19, 1968/Magha 30, 1889 (Saka).